

तिथि

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

18-09-17

अभिलेख उपस्थापित 1 प्रथम पल
 क्रमांक 03 उपस्थित क्रमांक 01, 02, 04
 अधिवक्ता हाजरी द्वितीय पल अधिवक्ता
 हाजरी। उक्त वाद में ह. म. की
 अवधि पूर्ण हो चुकी है। अर्थात् वाद
 कालबाधित हो गया है। उक्त वाद में
 अभिलेख की कालबाधिता बन्द की जाती है।

f
 18/9/17
 कार्यपालक दण्डाधिकारी
 बुन्दू (रांची)